न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/118/19	15–10–2019	10–08–2021

1. रामरतन उर्फ रतनलाल पुत्र स्व0 ग्यारसा जाति जाटव निवासी ग्राम रायबका हाल निवासी रामनगर 60 फुट रोड अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. सहायक भू–प्रबंध अधिकारी अलवर।
2. तहसीलदार तहसील व जिला अलवर। असलरेस्पा0
3. पुष्पा पुत्री स्व0 कुडीराम जाति जाटव
4. सम्पत्ति पत्नी स्व0 ग्यारसा जाति जाटव निवासीयान ग्राम रायबका हाल 60 फुट रोड रामनगर कॉलोनी अलवर तर0रेस्पा0

अपील विरूद्ध आज्ञा भू–प्रबन्धक अधिकारी, अलवर के दिनांक 01–01–1992 बाबत इन्तकाल सं0 10 वाके ग्राम रायबका तहसील व जिला अलवर नाम दुरूस्ती।

उपस्थितः–

01. श्री तेज सिंह –वकील अपीलान्ट
02. श्री लल्लू राम वर्मा –वकील रेस्पो0

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील भू–प्रबंध अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 01.01.92 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 10 वाके ग्राम रायबका तहसील अलवर अपीलान्ट का नाम गलत रूप से इन्द्राज से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि तहत अदालत द्वारा विवादित इंतकाल अपीलान्ट के पीछे से बिना अपीलान्ट को तलब किये एवं बिना सुनवाई का अवसर देते हुए स्वीकृत किया गया है। तहत अदालत ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया गया। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी जो आराजी हाल खसरा नम्बर सम्वत 2051 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 308 मिन शामिल नम्बर 328 से कायम किये गये है। साबिक खसरा नम्बर पर सेडू पुत्र जोधा 1/2 हिस्सा एवं ग्यारसा पुत्र नत्थू 1/2 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 खातेदार ग्यारसा के वारिसान है जिनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट व तर0रेस्पा0 के नाम विरासत इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया था। सम्वत 2045 में विरासत के पश्चात् पूर्व रिकार्ड के अनुसार ही मृतक ग्यारसा के वारिसान के नाम इन्द्राज किया गया था। विवादित इंतकाल में अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 का हिस्सा नही खोला है जबकि अपीलान्ट व तर0 रेस्पा0 आराजी 308 के सेडू पुत्र जोधा 1/2 हिस्सा व ग्यारसा 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विवादित इंतकाल में हिस्सा पूर्व रिकार्ड के अनुसार नहीं खोला गया है। तहत अदालत ने कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया ना ही अपीलान्ट को तलब किया गया। विवादित इंतकाल की कार्यवाही रेस्पा0 असल से साजबाज होकर की गई है। अपीलान्ट के पिता ग्यारसा की विरासत का इंतकाल दर्ज करते समय अपीलान्ट का नाम रतनलाल दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम रामरतन है। अतः विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी में अपीलान्ट व तर0रेस्पा0 का

जिला कलक्टर, अलवर

हिस्सा मुताबिक साबिक रिकार्ड दुरूस्ती की जावें एवं अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम रामरतन दर्ज कराये जाने आदेश फरमाये जावें। अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.08.18को हुई जिस पर आवश्यक दस्तावेजात की नकल लेकर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान वकील रैस्पा0 ने जवाब प्रार्थना पत्र की बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर साबिक रिकार्ड के अनुसार खातेदारान का हिस्सा दर्ज किया जावें। तहत अदालत के अपीलीय आदेश द्वारा त्रुटि पूर्ण इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया है जो निरस्त किया जाना न्याय संगत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्टने यह अपील आदेश दिनांक 01–01–1992 के विरूद्ध दिनांक 30.08.18 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 26 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में दर्ज तथ्यों तथा अपीलान्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुऐ विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित इंतकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने भूलवश विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पा0 खातेदार दर्ज है रिकार्ड के अनुसार इंतकाल में हिस्सा पूर्व रिकार्ड के अनुसार नहीं खोले जाने से अपीलान्ट के हिस्सा प्रभावित हो रहा है व मानवीय त्रूटिवश अपीलान्ट का नाम "रामरतन" के स्थान पर "रतनलाल" दर्ज कर दिया–जबकि मुताबिक सही नाम "रामरतन" है। तथा तहत अदालत ने इंतकाल स्वीकार करते समय विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी का सही प्रकार से हिस्सा दर्ज नहीं किया है एवं अपीलान्ट के नाम की सही जांच नहीं की। अतः इस तथ्य की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अपील अपीलान्ट रिमाण्ड किया जाना उचित समझतें है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत का आदेश दिनांक 01–01–1992 बाबत इंताकल संख्या–10 ग्राम रायबका तहसील अलवर जिला अलवर आंशिक रूप से "रतनलाल" के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्ट के नाम के संबंध में जांच करें, एवं पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी की जांच कर उचित निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10–08–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर, अलवर